भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

का

निष्कर्ष बजट

2015-16

निष्कर्ष बजट 2015- 16

मांग संख्या - 47

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश	1-5
अध्याय- I प्रस्तावना	6-8
अध्याय - II वित्तीय परिव्यय तथा निष्कर्ष बजट 2014-15	9-13
अध्याय - III सुधारात्मक तथा नीतिगत पहलें	14-19
अध्याय - IV कार्य निष्पादन की समीक्षा	20-33
अध्याय - V वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान हुई वित्तीय समीक्षा	34-37
अध्याय - VI सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा	38-46
संक्षिप्त रूपों की सूची	47

निष्कर्ष बजट 2015-16

माँग संख्या-47

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

कार्यकारी सारांश

निष्कर्ष बजट, प्रत्येक स्कीम के लक्ष्यों को तय करने तथा प्रदेयताओं की मात्रात्मकता के निर्धारण द्वारा वित्तीय बजट के भौतिक आयामों को दर्शाने का एक प्रयास है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का वर्ष 2015-16 का निष्कर्ष बजट विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही छः योजना स्कीमों के संबंध में मंत्रालय के अध्यादेश तथा मुख्य गतिविधियों, 'परिव्यय' का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित 'निष्कर्षों' के साथ-साथ उनके पूर्व कार्य निष्पादन पर प्रकाश डालता है । खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों तथा की गई नीतिगत पहलों जैसे कि आयकर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि में दी गई राहतों के बारे में भी वर्णन किया गया है । कार्यान्वयन को गति प्रदान करने तथा परियोजनाओं की निगरानी/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सरलीकरण लाने, पारदर्शिता तथा ई-गवर्नेंस/प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी ब्यौरा दिया गया है । इस दस्तावेज में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय समीक्षा भी दी गई है ।

वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन 505.51 करोड़ रुपए है जिसमें से 487.00 करोड़ रुपए योजना खर्च के लिए तथा 18.51 करोड़ रुपए गैर-योजना खर्च के लिए है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

➢ <u>अवसंरचना विकास स्कीम-</u> इसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात

i. <u>मेगा खाद्य पार्क (एमएफपी)</u>

स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । यह क्लस्टर आधारित पहुँच अपनाती है तथा पश्च एवं अग्र लिंकेजों को सुनिश्चित करती है । सरकार ने 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 चरणों में 42 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना की स्वीकृति दी है । अंतिम अनुमोदन प्रदान की गई 21 परियोजनाओं में से, 4 परियोजनाएं प्रचालनरत है तथा 2 और परियोजनाओं के वर्ष 2014-15 तक पूरा हो जाने की संभावना है । अन्य 2 परियोजनाओं के वर्ष 2015-16 में पूरा होने की संभावना है । प्रत्येक मेगा खाद्य पार्क से 6000 किसानों/उत्पादकों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 25000 से 30000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है । स्कीम के अंतर्गत 31.12.2014 तक 458.08 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं ।

ii. <u>शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम</u>

स्कीम में एकीकृत एवं पूर्ण शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु खेत से लेकर उपभोक्ता तक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । अनुमोदित 112 परियोजनाओं में से, 50 पूरी हो चुकी हैं तथा 62 कार्यान्वयनाधीन हैं । प्रवर्तकों की ओर से हुई धीमी प्रगति/ कार्यान्वयन न होने के कारण नौ परियोजनाओं को रद्द/ वापस ले लिया गया है । इन 112 परियोजनाओं से 376544 मिट्रिक टन क्षमता के सीए/एमए/सामान्य शीतागार/प्रशीतन भंडारों, 609 प्रशीतित वाहनों तथा 94.05 मिट्रिक टन प्रति घंटा की आईक्यूएफ क्षमता और 106.97 लाख लीटर प्रतिदिन के दुग्ध प्रसंस्करण/भंडारण के सृजन का अनुमान है । स्कीम के अंतर्गत 31.12.2014 तक 478.42 करोड़ रुपए की संचयी राशि जारी की जा चुकी है । इसमें से, वर्ष 2014-15 के दौरान 31.12.2014 तक 146.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

iii. <u>बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण</u>

स्कीम का मुख्य उद्देश्य पशुओं के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यकर तरीके से वध, अवशिष्ट प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण, चिलिंग सुविधा आदि उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना में सहायता करना है, ताकि, उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर मांस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके । 11वीं एवं 12वीं योजना के दौरान अनुमोदित 39 बूचड़खाना परियोजनाओं में से 31.12.2014 तक 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं । 1 परियोजना के वर्ष 2014-15 के दौरान पूरी होने

की संभावना के साथ 35 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है । स्कीम के अंतर्गत 31.12.2014 तक 80.27 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं ।

अवसंरचना विकास स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 का कुल बजट अनुमान 329.00 करोड़ रुपए है जिसमें सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 41.70 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है ।

- <u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम</u>- **(11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)** इस स्कीम का उद्देश्य अनाजों, तिलहनों, राइस मिलिंग, फ्लोर एवं दालों सहित दूध, फल एवं सब्जी, माँस, पॉल्ट्री, मत्स्यिकी, वाइन, बेकरी उत्पादों तथा अनाज मिलिंग में नई क्षमताओं का सृजन एवं मौजूदा प्रसंस्करण क्षमता का उन्नयन करना है । इस स्कीम को 01.04.2012 से केंद्र प्रायोजित स्कीम- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है । 31.03.2012 तक प्राप्त मामलों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 1232 यूनिटों को 186.19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा वर्ष 2013-14 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 996 यूनिटों को 162.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । वर्ष 2014-15 के दौरान (31.12.2014 तक) 881 यूनिटों को 142.63 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । स्कीम के लिए बजट अनुमान 2015-16 में 100.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।
- <u>गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम</u>- इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लाभ के लिए (i) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, (ii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन तंत्र जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000/हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी), अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी) तथा अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां (जीएचपी) को अंगीकार करने और (iii) उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के संबंध में अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान, उन्नत पैकिंग, मूल्यवृद्धि इत्यादि के लिए अनुदान-सहायता दी जाती है । वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान स्कीम के अंतर्गत 28.56 करोड़ रुपए जारी किए गए थे । बजट अनुमान 2015-16 में स्कीम के लिए 30.00 करोड़ रुपए का आवंटन है । वर्ष 2014-15 के दौरान, 8 खाद्य परिक्षण प्रयोगशालाएं (एफटीएल), 20 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थीं तथा 4 यूनिटों को हैसप/आईएसओ प्रमाणन के खर्च की प्रतिपूर्ति की गई थी । स्कीम के खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला (एफटीएल) तथा

अनुसंधान एवं विकास घटकों का कार्यान्वयन क्रमशः कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि मंत्रालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को सौंप दिया गया है । 31.03.2012 तक प्राप्त प्रस्तावों का निपटान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

- मानव संसाधन एवं दक्षता विकास स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)-स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों (एफपीटीसी) की स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों/उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपीज) आदि में खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए तीन विश्वविद्यालयों, एक एफपीटीसी की स्थापना एवं 10 ईडीपी आयोजित करने के लिए 2.27 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 में 5.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का प्रावधान किया गया है ।
- प्रशासन समेत संस्थान सुदृढ़ीकरण- इस स्कीम के अंतर्गत कुंडली, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), तंजावुर, तमिलनाडु स्थित भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी); भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, पुणे, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के लिए अनुदान दिए जाते हैं । स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 37.90 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था । इन स्वायत्तशासी निकायों के कार्यकलापों तथा कार्य निष्पादन की समीक्षा निष्कर्ष बजट के अध्याय-VI में की गई है ।
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी)- इस स्कीम का कार्यान्वयन 12वीं योजना (2012-13) के अंतर्गत 1250 करोड़ रुपए के आवंटन से एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में किया जा रहा है । वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान विभिन्न राज्यों को क्रमशः 29.72 करोड़ एवं 108.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे । स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम से पृथक कर दिया गया है तथा 2015-16 के बजट अनुमान में राज्य योजना के लिए कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है । परन्तु 2015-16 के बजट अनुमान के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए 7.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति प्रदान करने हेतु उद्यमियों को वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि सृजित की गई है । इस निधि से खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार तथा निर्दिष्ट खाद्य पार्कों में अवसंरचना विकास के लिए उद्यमियों, सहकारिताओं, कृषक उत्पादक संगठनों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों, एसपीवी तथा सरकार द्वारा समर्थित कम्पनियों को ऋण दिया जाता है । स्कीम का ब्यौरा नाबार्ड की वेबसाइट http://www.nabard.org/foodprocessing.pdf पर देखा जा सकता है ।

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में कोई मुख्य बदलाव न आने पाए इसके लिए नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है । परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के साथ आवर्ती बैठकें की जाती हैं । विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत मंत्रालय से अनुदान-सहायता/सहायता के लिए खर्च के ब्यौरों के साथ-साथ विभिन्न आवेदनों की प्रक्रिया की नियमित निगरानी को सुगम बनाने के लिए आवेदन प्राप्ति के स्तर से अनुदान सहायता संवितरित करने तक की सभी सूचना को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । आवेदनों की प्रक्रिया की स्थिति को भी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ।

*****

प्रस्तावना

खाद्य प्रसंस्करण में कृषि अथवा बागवानी उपज का किसी भी प्रकार का मूल्यवर्धन शामिल है और इसमें श्रेणीकरण, छंटाई, पैकेजिंग जिससे उत्पादों के उपयोगी बने रहने की क्षमता (शेल्फ लाइफ) बढ़ती है, भी शामिल है । मंत्रालय, कृषि और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण लिंकेज और सहक्रिया उपलब्ध कराता है । देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी । बाद में 15.10.99 की अधिसूचना सं. डॉक-सीडी-442/99 के द्वारा इस मंत्रालय को विभाग बना दिया गया और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया । सितम्बर, 2001 में इसे एक बार पुन: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया ।

मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं-

(i) निम्नलिखित से संबंधित उद्योग:-

(क) कुछ कृषि उत्पादों जैसेकि मिल्क पाउडर, शिशु दूध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, संघनित दूध, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, मांस तथा मांस उत्पाद का प्रसंस्करण एवं प्रशीतन ।

(ख) मछली प्रसंस्करण (डिब्बा बंदी और हिमीकरण समेत) ।

(ग) मछली प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विकास परिषदों की स्थापना एवं सेवाएं उपलब्ध कराना ।

(घ) मछली प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी सहायता तथा परामर्श ।

(ङ) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (हिमीकरण और निर्जलीकरण समेत) ।

(च) खाद्यान्न पिसाई (मिलिंग) उद्योग

(ii) डबल रोटी, तिलहन, आटा (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण ओर चॉकलेट उतपाद समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य वीनिंग फूड और निष्कर्षित खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की आयोजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेज ।

(iv) गैर-अल्कोहल युक्त बीयर समेत अन्य बीयर ।

(v) गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय ।

(vi) वातित जल/ शीतल पेय ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमाओं के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति तथा योजनाएं बनाने का काम करता है । एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा व्यापारीकरण, उपज का टिकाऊपन बढ़ाने, कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन, किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा कृषि खाद्यों के निर्यात के लिए बाजार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का मार्गदर्शन करने और सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल माहौल पैदा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है । मंत्रालय के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- कृषि उपज का बेहतर इस्तेमाल और मूल्यवर्धन करना ।
- कृषि खाद्य उपज के भण्डारण, ढुलाई और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी स्तरों पर अपव्यय को न्यूनतम करना ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश ।
- उत्पाद और प्रक्रिया विकास तथा बेहतर पैकेजिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना ।
- मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन, प्रोत्साहन पहल और सुविधाएं उपलब्ध कराना ।
- खेत से लेकर उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के अंतर को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन करना ।

मंत्रालय के कामकाज को मौटे तौर पर नीतिगत समर्थन, विकासात्मक पहल और प्रोत्साहन कार्यकलापों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है । उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु निम्निलखित पहल/ स्कीमों को सहायता देता रहा है:-

<u>नीतिगत समर्थन</u>

क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन ।

ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना ।

ग) खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र से संबंधित टैरिफ ओर शुल्कों को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा देना ।

विकासात्मक पहलें

(क) आधुनिक अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता उपलब्ध कराना, अनुसंधान एवं विकास के आधार को व्यापक करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आदि में प्रबंधकों, उद्यमियों एवं दक्ष कामगारों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन का विकास करना ।

(ख) मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकरण हेतु, 12वीं योजना (2012-13) के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) शुरू किया गया है ।

(ग) विश्लेषण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता देना, खाद्य मानक तय करने के साथ-साथ उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सक्रिय भागीदारी करना ।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाने के लिए एक 'निवेशक पोर्टल' का सृजन किया गया है । मंत्रालय में सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम नामक चार्टर मार्क शुरू किया गया है ।

(ङ) एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने के लिए उद्योगों तथा संघ राज्य क्षेत्र/ राज्य सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क करना ।

(च) विनिर्दिष्ट खाद्य पार्कों में वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि का सृजन किया गया ।

(छ) 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक प्राथमिकता का क्षेत्र है । इस संदर्भ में निवेशकों के साथ सम्पर्क करने के लिए एक ई-मेल आईडी-makeinindia-fpi@gov.in का सृजन किया गया है ।

संवर्धनात्मक पहलें: देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं के बारे में जारूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित हेतु सहायता देता है-

क) कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं मेलों आदि के आयोजन तथा;

ख) अध्ययनों/ सर्वेक्षण आदि के लिए ।

.....

वित्तीय परिव्यय एवं निष्कर्ष बजट 2015-16

वित्तीय वर्ष 2015-16 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मौजूदा पांच केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीमों को एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत लाया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पांच योजना स्कीमों, का परिव्यय एवं निष्कर्षों का एक विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम (योजना)	उद्देश्य/ निष्कर्ष	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रुपए)		परिमाण योग्य/ प्रदत्त योग्य/ भौतिक निर्गत	परिकल्पित बजट निष्कर्ष	प्रक्रियाएं/ समयावधि	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			(i)	(ii)				
	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन		गैर - योजना	योजना				
1.	अवसंरचना विकास स्कीम- (i) मेगा खाद्य पार्क	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में बुनियादी सुविधा के सृजन में सहायता	--	329.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 41.70)	मेगा खाद्य पार्क- 40	मेगा फूड पार्क - यह खेत के छोटे आकार और प्रसंस्करण इकाइयों के लघु और मध्यम आकार से संबंधित मुद्दों पर पणधारकों द्वारा प्रबंधित आपूर्ति श्रृंखला के साथ झुण्ड आधारित पद्धति के माध्यम से ध्यान	सामान्यतः पहली किस्त जारी करने की तारीख से 30 महीनों के भीतर । हालांकि कार्यान्वयन भूमि की उपलब्धता, वित्त और अन्य संभार तंत्र सहायता पर निर्भर करता है ।	वापसी/ रद्दीकरण तथा अपस्केलन के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों/ भविष्य की रिक्तियों के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी । प्राप्त हुए प्रस्तावों को सैद्धान्तिक अनुमोदन देने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा

						देगा।		रहा है ।
	(ii) शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना		--		शीत श्रृंखला-112	यह संसाधन युक्त आपूर्ति श्रृंखला तथा शीत श्रृंखला के माध्यम से उत्पादक समूह का प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजार से सम्पर्क संभव बनाएगा । 873.54 करोड़ रुपए के अनुदान के सापेक्ष 1734.06 करोड़ रु. का निजी निवेश आकर्षित किया जाएगा।	वित्तीय समर्थन के लिए अनुमोदन जारी करने की तिथि से लगभग 24-30 माह	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के तहत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में गैर बागवानी उत्पादों समेकित शीत श्रृंखला, मूल्य वर्धन और परिरक्षण मूल संरचना की योजना को विलीन किया गया है ।
	(iii) बूचड़खानों की स्थापना/ आधुनिकीकरण				11वीं योजना की 6 चल रहीं परियोजनाओं में से 2 के पूरी हो जाने की संभावना है और अन्य में प्रगति में तेजी लाई गई है । 12वीं योजना की अनुमोदित 29 परियोजनाओं में से सभी परियोजनाएं	यह जानवरों की वैज्ञानिक एवं स्वच्छ विधि से कटाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण संभव करेगा । इसके अतिरिक्त बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा खुदरा शीत श्रृंखला प्रबंधन को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित एवं	समय पर कार्यान्वयन, भूमि की उपलब्धता, वित्त और अन्य संभार तंत्र सहायता पर निर्भर करते हैं । स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन की समय-सीमा परियोजना के अनुमोदन/ अंतिम अनुमोदन की तारीख से लगभग 24 महीने की है बशर्ते कि	12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रुप में इस स्कीम का कार्यान्वयन किया गया था । इसके पश्चात 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए दिनांक 01.04.2014 से इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य

					कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ।	स्वास्थ्यकर मांस मिल सके ।	अनुमोदन समिति द्वारा इसे बढ़ाया न गया हो ।	सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के माध्यम से किया जा रहा है ।
2.	खाद्य प्रसस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना, आधुनिकीकरण स्कीम	खाद्य प्रसस्करण यूनिटों की स्थापना/ तकनीकी उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए सहायता	--	100.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.00)	लगभग 400 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी जाएगी ।	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम	खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण में सहायता करना ।	
3.	गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम	स्कीम का लक्ष्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे का विकास करना और इस क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी,जीएमपी , जीएचपी समेत टीक्यूएम को अपनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण	--	30.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.00)	आर एण्ड डी परियोजनाएं - 22 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला - 11 एचएसीसीपी- 7	उत्पाद और प्रक्रिया विकास में सुधार पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और अभिनव उत्पादों तथा वाणिज्यिक मूल्य के साथ प्रक्रियाओं के लिए अग्रणी । खाद्य परीक्षण अवसंरचना का सृजन एवं उन्नयन तथा उत्पाद सुरक्षा को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना तथा उनके द्वारा उपभोक्ता स्वास्थ्य की रक्षा तथा	टी.एस.सी. तथा पी.ए.सी. के अनुमोदन की विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए आर एण्ड डी तथा एफटीएल परियोजनाएं अनुमोदित हैं। आर एण्ड डी परियोजनाएं 3 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित हैं । गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों जैसे कि आईएसओ 9000, आईएसओ 22000, एचएसीसीपी,जीएमपी, जीएचपी को पीएसी	आर एण्ड डी परियोजनाओं का अनुमोदन विश्वविद्यालयों/ शोध एवं अनुसंधान संस्थानों/ निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं आदि से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है । यह स्कीम 01.04.2012 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से कार्यान्वित हो रही है ।

		उद्योग को बढ़ावा देना ।				उतपादों की ग्राह्यता में वृद्धि ।	के अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमोदन दिया जाता है तथा अनुमोदन पत्र जारी होने के एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रश्चात व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान जारी किया जाता है ।	01.04.2012 से खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला स्कीम का कार्यान्वयन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से किया जा रहा है ।
4.	मानव संसाधन एवं दक्षता विकास स्कीम (एचआरडी स्कीम के संबंध में 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी स्तरों पर कुशल जन-शक्ति/कार्मिकों की आपूर्ति को सुगम बनाना ।	----	5.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.30)	3-डिग्री/डिप्लोमा 30-ईडीपी तथा 5-एफपीटीसी को प्रतिबद्ध देयताओं के प्रस्ताव हेतु सहायता दी जाएगी ।	उद्यमियों को कारोबार स्थापित करने के लिए सक्षम करना । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए के लिए प्रशिक्षित और कुशल मानव शक्ति का सृजन करने हेतु खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना ।	परियोजना छानबीन समिति द्वारा प्रस्ताव की सिफारिशों के 6 महीने के पश्चात ।	
5.	प्रशासन तथा संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम	मंत्रालय के संस्थानों को बजटीय सहयोग प्रदान करना ।	4.04	16.00				आईआईसीपीटी तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू, कोयम्बटूर) से संबद्ध एक संस्थान है जो बी.टेक/ एम.टेक/

								पी.एचडी शैक्षणिक कार्यक्रम चलाता है । निफ्टेम खाद्य प्रौद्योगिकी में पेशेवर पाठ्यक्रम चलाने वाला एक डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय है । एक स्वायतत संस्था के रूप में परिणामों/ निष्कर्षों/ समय-रेखा का ब्यौरा निष्कर्ष बजट के अध्याय-VI पर दिया गया है ।
	महायोग		**4.04**	**480.00 (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 48.00)**				

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहलें

भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों[1] की घोषणा की है । मुख्य प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:-

1. आयकर

व्यय के लिए कटौती: अगर कोई निवेश पूरी तरह और विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट व्यापार (विवरण नीचे दिया गया है) के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 एडी के तहत निवेश हेतु व्यय के संबंध में कटौती की अनुमति होगी। हालांकि कटौती की अनुमति तभी होगी जब निवेश पिछले वर्ष में किया गया हो और व्यापार के परिचालन आरंभ होने से पूर्व किया गया हो ।

व्यवसाय में 150% तक कटौती की अनुमति (यह सुविधा उन्हीं कर दाताओं को होगी जिन्होंने अपना व्यवसाय 1.4.2012 से पहले शुरू किया है)

(अ) शीत श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन

(ब) कृषि उपज के भंडारण के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा की स्थापना

प्रचालन व्यवसाय में 100% तक कटौती की अनुमति

(स) शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन

(द) चीनी के भंडारण के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा की स्थापना और प्रचालन

लाभ में से कर की कटौती: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईबी (11ए) के तहत (अर्थात किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा वर्तमान में अस्तित्व किसी व्यवसाय का पुनर्निर्माण न हो) फलों, सब्जियों, मांस और मांस से बने उतपाद, पोल्ट्री,समुद्री उत्पाद, डेरी उत्पाद के संसाधन, संरक्षण या पैकिंग के क्षेत्र में नई इकाई की शुरूआत करने वालों को आय से कटौती का दावा करने की अनुमति होगी ।

[1] दर्शाए गए प्रोत्साहन दृष्टात्मक हैं । प्रोत्साहनों तथा उनके दायित्वों का ब्यौरा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं एवं संबंधित अधिनियम से प्राप्त किया जा सकता है ।

इस कर के प्रोत्साहन के तहत व्यवसाय के परिचालन के बाद से पहले पांच सालों में 100% कर छूट होगी, और इसके बाद यह छूट लाभ के 25% पर और कम्पनी के मामले में 30% छूट होगी । इसका लाभ व्यवसाय शुरू होने के बाद से पहले 10 वर्ष तक सिर्फ उनहें प्राप्त होगा जिन्होंने अपना व्यवसाय 1 अप्रैल, 2001 को या इसके बाद शुरू किया गया हो ।

मांस, मांस से बने उत्पाद, पोल्ट्री समुद्री उत्पाद या डेरी उत्पाद से संबंधित कोई व्यवसाय अगर 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद शुरू किया गया है, उपरोक्त लाभ उपलब्ध होंगे लेकिन उन व्यवसायों को यह लाभ उपलबध नहीं होगा जो 01.04.2009 से पहले ऐसे व्यावसाय से जुड़े हैं ।

2. <u>सेवा कर</u>

(i) ऋणात्मक सूची: वित्त अधिनियम, 1994 के तहत उन मदों पर जो ऋणात्मक सूची में दज्र होते हैं उन पर सेवा कर नहीं लिया जाता है । ये सेवाएं इस प्रकार हैं:

इन सेवाओं में एक कृषि फार्मपर होने वाले प्रक्रम शामिल हैं, जो हैं टेंडिंग, छंटाई, कटाई, फसल कटाई, सुखाना, ट्रिमिंग, धूप में सुखाना, धुंआ दिखाना, कयोरिंग, छांटना, ग्रेडिंग, कूलिंग या थोक पैकेजिंग और प्रचालन जेसे काय्र जिन से कृषि उपज की अनिवार्य विशेषताओं में बदलाव नहीं होता किन्तु यह प्राथमिक बाजार के लिए विपणन योगय बनाई जाती है ।

(संदर्भ: वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय पांच की धारा 66 डी (डी) (iii))

(ii) छूट की श्रेणियां:

वित्त मंत्रालय ने 20.06.2012 को जारी अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सेवाओं को सेवा कर से छूट प्रदान की है:

(अ) उक्त प्रयोजनों के लिए शीत भंडारण सहित उपज के लिए कटाई पश्चात भंडारण मूल संरचना से जुड़े मूल कार्यो का निर्माण, इरेक्शन, कमिशनिंग या स्थापना ।

(ब) अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के अलावा खाद्य पदार्थों के रूप में संसाधन कृषि उपजों की इकाइयों के लिए यांत्रिक खाद्यान्न हैडलिंग प्रणाली, मशीनरी या उपकरण ।

(स) सामान के वाहक में फलों, सबिजयों, दालों अंडों, दूध, खाद्यान्न या दालों के परिवहनहेतु सामान परिवहन एजेंसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं ।

(द) कृषि उपजों की लदाई, उतराई, पैकिंग भंडारण या वेयाहाउसिंग की सेवाओं पर सेवाकर की देयता नहीं है ।

(संदर्भ: वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय पांच की धारा 93 के तहत-सेवाकर से छूट प्रदान करने के अधिकार, दिनांक 20 जून, 2012 की सेवा कर अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर द्वारा जारी)

(iii) बजट 2015-16 में, प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, पक्वन, वैक्सिंग, खुदरा पैकिंग, फलों एवं सब्जियों की लेबलिंग आदि सेवाओं को सेवा कर से छूट दी गई है । इससे फल एवं सब्जी स्कंध में आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करने के लिए प्रवर्तक तथा शीत श्रृंखला ऑपरेटर प्रोत्साहित होंगे ।

3. <u>सीमा शुल्क</u>

(i) सरकार ने निर्यात परियोजना के लाभ अग्रलिखित परियोजनाओं तक विस्तारित किए गए हैं :

(अ) यांत्रिक खाद्यान्न हैंडलिंग प्रणाली और 'मंडियों'में पैलेट रैकिंग प्रणाली तथा खाद्यान्न और चीनी के लिए वेयरहाउस की स्थापना हेतु परियोजना ।

(ब) कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, मुर्गी, जलीय और समुद्री उपज तथा मांस के संरक्षण, भंडारण या संसाधन के लिए औद्योगिक परियोजनाएं या शीत भंडारण, कोल्ड रूम (फार्म स्तर की पूर्व कूलिंग सहित) ।

परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी वस्तुएं जो खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के भाग के रूप में आयात की जाती है, चाहे उनका प्रशुल्क कोई भी हो, उन्हें 5% के रियायती मूलभूत सीमाशुल्क पर एक समान आकलन की पात्रता होगी ।(संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2012 दिनांक 17.3.2012)

(ii) अखरोट पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 10% किया गया । (संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2013 दिनांक 1.3.2013)

(iii) जई अनाज पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर 15% किया गया।(संदर्भ: अधिसूचना संख्या 12/2013 दिनांक 1.3.2013)

4. <u>केन्द्रीय उत्पाद शुल्क</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट दी है । कुछ प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद मदों पर शुल्क ढांचा इस प्रकार है:-

(i) दूध, दुग्ध उत्पादों (अध्याय-4), सब्जियां (अध्याय-7), मेवे एवं फल, ताजे एवं सूखे (अध्याय-8) पर कोई शुल्क नहीं ।

(ii) 12% के मानक शुल्क के विरुद्ध प्रसंस्कृत फलों एवं सबिजयों (अध्याय-20) पर गुणवत्ता के आधार पर बिना सीईएनवीटी के 2% या सीईएनवीटी के साथ 6% की दर लगाई जाती है ।

(iii) सोया दुग्ध पेय, पशु मूल का फ्लेवर्ड दुग्ध में भी बिना सीईएनवीटी के 2% या सीईएनवीटी के साथ 6% की दर लगाई जाती है ।

खाद्य प्रसंस्करण की मशीनें:

(i) शीत गृहों की स्थापना के लिए उपयोग में आने वाली मशीनें एवं उनके पुर्जे, कृषि संबंधी, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेरी, पोल्ट्री, जलीय एवं समुद्री उत्पाद एवं मांस के संरक्षण, भंडारण, परिवहन या संसाधन के लिए ठंडे कमरे या प्रशीतित वाहनों को उत्पाद शुल्क देने से छूट प्रदान की गई है ।

(ii) डेरी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली पश्च्युरिंग करने वाली, सुखाने वाली, वाष्पन करने वाली इत्यादि मशीनों को उत्पाद शुल्क देने से छूट प्रदान की गई है । (संदर्भ: अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 17.3.2012)

(iii) मांस, पॉल्ट्री, फल, नट अथवा सब्जियों को तैयार करने तथा वाइन, सिडर, फलों के रस अथवा समान पेय पदार्थों के इस्तेमाल में आने वाली मशीनों और पैकिंग मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है । (संदर्भ: अधिसूचना सं. 12/2014- उत्पाद दिनांक 11.7.2014)

सरलीकरण/ पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस:-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परियोजनाओं के अनुमोदन को गति प्रदान करने के लिए जांच बिन्दु/ जांच सूचियों का निर्धारण किया गया है ।
- निर्धारित परियोजनाओं की निकासी की समय-सीमा ।
- परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए मानक प्रोफार्मा ।
- अनुमोदन समिति की बैठकों में वृद्धि ।
- दिशानिर्देशों का निर्धारण, प्रकाशन तथा राज्यों को परिचालन ।
- पणधारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना ।
- मंत्रालय में प्रस्तावों पर डाटाबेस को प्रचालनरत किया गया ।
- विषय-वस्तु के अतिप्रभावी प्रबंधन तथा सामान्य सूचना मंच उपलब्ध कराने के लिए इंट्रा- एफपीआई विकसित किया गया । राज्यों/फर्मों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग शुरू की गई ।
- विषय-वस्तु के अधिक प्रभावी प्रबंधन तथा सामान्य सूचना मंच हेतु इंट्रा एफपीआई विकसित किया गया है ।
- 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक प्राथमिकता का क्षेत्र है । इस संदर्भ में निवेशकों के साथ सम्पर्क करने के लिए एक ई-मेल आईडी-makeinindia-fpi@gov.in का सृजन किया गया है ।
- मंत्रालय ने सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता दर्शाने के लिए सेवोत्तम, चार्टर मार्क की शुरूआत की गई है ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति प्रदान करने हेतु उद्यमियों को वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि सृजित की गई है । इस निधि से खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार तथा निर्दिष्ट खाद्य पार्कों में अवसंरचना विकास के लिए उद्यमियों, सहकारिताओं, कृषक उत्पादक

संगठनों, संयुक्त उपक्रम कम्पनियों, एसपीवी तथा सरकार द्वारा समर्थित कम्पनियों को ऋण दिया जाता है । स्कीम का ब्यौरा नाबार्ड की वेबसाइट http://www.nabard.org/foodprocessing.pdf पर देखा जा सकता है ।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री की एक पहल "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की पहचान प्राथमिकता के एक क्षेत्र के रूप में की गई है । इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना में निवेश करता रहा है । सड़क, विद्युत, जल-आपूर्ति, सीवेज जैसी सामान्य यूटिलिटी सुविधा तथा पल्पिंग, पैकिंग, शीतागार, शुष्क भंडारण तथा उपस्करों जैसी सामान्य प्रसंस्करण सुविधा के साथ मेगा खाद्य पार्कों का मजबूत कृषि संसाधन आधारित क्षेत्रों में संवर्द्धन किया जा रहा है । इन पार्कों में उद्यमियों को लघु आवधिक पट्टे के आधार पर पूर्ण विकसित भूखण्ड तथा फैक्ट्री शेड्स उपलब्ध कराए जाते हैं जहां वे "प्लग एवं प्ले मॉडल" में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित कर सकते हैं । सरकार ने दिनांक 13 अक्तूबर, 2014 की भारत सरकार की अधिसूचना के माध्यम से अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत सूची (एचएलआईएस) के अंतर्गत शामिल खाद्य पार्कों में निवेश की घोषणा की है । इस अधिसूचना के अनुक्रम में यह आशा की जाती है कि मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त मेगा खाद्य पार्क आसान अर्थों में अवंसरचना स्थापित करने में सक्षम हो सकेंगे। भारत में, हमारे पास 29 मिलियन मीट्रिक टन का बहुत बड़ा शीत श्रृंखला अंतराल है । शीत श्रृंखला उपस्कर में निवेश को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु आयकर लाभों को बढ़ाया गया है ।

"मेक इन इंडिया" अभियान के संदर्भ में, मंत्रालय एक तय किए गए "निवेशक पोर्टल" के माध्यम से क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्षम निवेशकों को सूचना का आदान-प्रदान करता रहा है जिसमें संसाधन आधार, भूमि की उपलब्धता, राज्य विशिष्ट नीतियां, राजस्व प्रोत्साहन जैसी सूचनाओं को सक्षम निवेशकों के साथ साझा किया जाता है ।

समग्र कार्य योजना को अंतिम रूप देने की दृष्टि से, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) ने विज्ञान भवन में 'मेक इन इंडिया' कार्यशाला आयोजित की थी । कार्यशाला में माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष मंत्रणा तथा प्रस्तुतीकरण के आधार पर, विभाग ने सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई तथा कार्यान्वयन किए जाने हेतु "मेक इन इंडिया: एक कार्य योजना" दस्तावेज का संकलन किया है । दस्तावेज में चिन्हित दो महत्वपूर्ण लघु आवधिक पहलें कृषि मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की संयुक्त जवाबदेही के अंतर्गत 7.5 मिलियन मीट्रिक टन शीत श्रृंखला सुविधा के सृजन तथा अगले 3 वर्षों में 42 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना से संबंधित हैं ।

कार्य निष्पादन की समीक्षा

स्कीमवार भौतिक निष्पादन-2014-15 (31.12.2014 तक)

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	भौतिक निष्पादन		
		भौतिक लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**परिवर्तनों के कारण**
1.	बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-75 बूचड़खाने-14	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-66 बूचड़खाने-12	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या समुदाय या क्षेत्र विशेष उन्मुखी । मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ उद्यमियों/ संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर आधारित है । इसलिए उपलब्धियों की कमी व्यवहार्य प्रस्तावों के न प्राप्त होने/ निधियों की अन-उपलब्धता के कारण है ।
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	1000	881	
3.	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, मानक तथा अनुसंधान व विकास एवं अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम	आर एण्ड डी-20 प्रयोगशाला-10 हैसप-5	आर एण्ड डी-20 प्रयोगशाला-8 हैसप-4	
4.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	इन्फ्रा-5 ईडीपी-50 एफपीटीसी-5	इन्फ्रा-3 ईडीपी-10 एफपीटीसी-1	
5.	संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम	निफ्टेम, आईआईसीपीटी, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी और एसएनए को संस्थागत समर्थन ।		वर्ष 2014-15 में निफ्टेम द्वारा बी.टेक में 174, एम.टेक में 88 और पी.एचडी में 18 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । आरक्षित श्रेणी के छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक में 6, एम-टैक में 2 तथा पी.एचडी में 2 सीटें नहीं भरी जा सकीं । निफ्टेम ने 100% प्लेसमेंट प्राप्त किया । वर्ष 2014-15 में बी.टेक में 37, एम.टेक में 18 और पी.एचडी में 4 छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा बी.टेक में 30, एम.टेक में 19 तथा पी.एचडी में 3 छात्र उत्तीर्ण हुए। एसटी छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक की

				3 सीटें नहीं भरी जा सकीं, 1 एसटी तथा 1 एससी छात्र की अनुपब्धता के कारण एम.टेक की 2 सीटें नहीं भरी जा सकीं । ओबीसी छात्र की अनुपलब्धता के कारण पीएचडी की 1 सीट नहीं भरी जा सकी ।
6.	खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएफपी)	32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी करना ।	23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी की गई ।	यह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भारत सरकार के हिस्से एवं तदनुरूपी राज्य/ संघ राजय क्षेत्र सरकारों के हिस्से के उपयोग पर निर्भर है । चूंकि यह एक नई स्कीम है इसलिए राज्य/ संघ राज्य सरकारों एनएमफपी के कार्यान्वयन के लिए नई संरचनाओं की स्थापना कर रही हैं । इसके अतिरिक्त, राजस्व अनुमान स्तर पर बजट अनुमान में 180 करोड़ रुपए से 125.32 करोड़ रुपए की कमी के कारण विभिन्न राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए थे, को निधियां जारी नहीं की जा सकीं । इसलिए उपलब्धियां भौतिक लक्ष्यों से कम हैं ।

स्कीमवार भौतिक निष्पादन - 2013-14

क्र.सं.	स्कीम का नाम/ कार्यक्रम	भौतिक निष्पादन		
		भौतिक लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**परिवर्तनों के कारण**
1.	अवसंरचना विकास स्कीम	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-75 बूचड़खाने-10	मेगा फूड पार्क-40 शीत श्रृंखला-66 बूचड़खाने-17	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं न कि राज्य या समुदाय या क्षेत्र विशेष उन्मुखी । मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ उद्यमियों/ संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर आधारित है । इसलिए उपलब्धियों की कमी व्यवहार्य प्रस्तावों के न प्राप्त होने/ निधियों की अन-उपलब्धता के कारण है । सीसीईए ने अपनी 08.08.2013 को हुई बैठक में 75 शीत श्रृंखला परियोजनाएं शुरू करने के लिए चौथे चरण में शीत श्रृंखला स्कीम के अपस्केलन का अनुमोदन दिया है । इनमें से 66 परियोजनाओं को दिनांक 07.05.2012 की ईओआई के प्रत्युत्तर में प्राप्त पात्र प्रस्तावों में से पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है । लगभग 15 रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 02.12.2013 को एक ईओआई जारी किया गया था । इसके प्रत्युत्तर में 153 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो छान-बीन के विभिन्न चरणों में हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान 17 बूचड़खाना परियोजनाएं अनुमोदित हुई थीं । 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित 10 बूचड़खाना परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं वर्ष 2013-14 तक पूरी हो गई थीं । एचआरडी के प्रस्तावों की प्रक्रिया 11वीं योजना अवधि की प्रतिबद्ध देयताओं में से की जा रही है और 12वीं योजना में मंत्रालय में कोई नए प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि इस स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है ।
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	600	996	
3.	गुणवतता आश्वासन, कोडेक्स, मानक तथा अनुसंधान व विकास एवं अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संबंधी स्कीम	आर एण्ड डी -15 लैब - 9 एचएसीसीपी - 07	आर एण्ड डी-38 लैब - 14 एचएसीसीपी -5	
4.	मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)	इन्फ्रा-5 ईडीपी-100 एफपीटीसी-10	इन्फ्रा-3 ईडीपी-67 एफपीटीसी-3	

5.	संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम	निफ्टेम, आईआईसीपीटी, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी और एसएनए को संस्थागत समर्थन ।		वर्ष 2013-14 में निफ्टेम द्वारा बी.टैक में 174, एम.टैक में 89 और पी.एचडी में 9 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक में 6 तथा एम-टैक में 1 सीट नहीं भरी जा सकी । चयनित छात्र द्वारा प्रवेश नहीं लेने के कारण पीएचडी की 1 सीट नहीं भरी जा सकी । वर्ष 2013-14 में आईआईसीपीटी द्वारा बी.टैक के पहले बैच को उत्तीर्ण घोषित किया गया एवं बी.टैक में 39, एम.टैक में 20 और पी.एचडी में 4 छात्रों को प्रवेश दिया गया है । एसटी छात्र की अनुपलब्धता के कारण बी-टैक की 1 सीट नहीं भरी जा सकी । उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण पीएचडी की 1 सीट नहीं भरी जा सकी ।
6.	खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएफपी)	32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी करना ।	11 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की राशि जारी की गई ।	यह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की गई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है । भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भारत सरकार के हिस्से एवं तदनुरूपी राज्य/ संघ राजय क्षेत्र सरकारों के हिस्से के उपयोग पर निर्भर है । चूंकि यह एक नई स्कीम है इसलिए राज्य/ संघ राज्य सरकारों एनएमफपी के कार्यान्वयन के लिए नई संरचनाओं की स्थापना कर रही हैं । इसलिए उपलब्धियां भौतिक लक्ष्यों से कम हैं ।

<u>कार्य-निष्पादन का स्कीम-वार ब्यौरा</u>

अवसंरचना विकास स्कीम- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसरचनात्मक बाधाओं की समस्याओं के समाधान के क्रम में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 11वीं योजना से अवसंरचना विकास हेतु एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । वर्ष 2015-16 के दौरान अवसंरचना विकास स्कीम हेतु कुल योजना परिव्यय 329.00 करोड़ रुपए है । अवसंरचना विकास स्कीम निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:-

<u>मेगा फूड पार्क स्कीम</u>-मेगा खाद्य पार्क स्कीम में सहायक अवसंरचना तथा सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला के साथ अत्याधुनिक संरचना सुविधाओं से युक्त सुस्पष्ट कृषि/ बागवानी प्रसस्करण जोन की परिकल्पना की गई है । सरकार ने 11वीं एवं 12वीं योजना के दौरान 42 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना को 4 चरणों में अनुमोदन दिया है । अर्थात् पहले चरण में 10, दूसरे चरण में 5, तीसरे चरण में 27 और शेष चौथे चरण में । सरकार द्वारा स्वीकृत की गई कुल 42 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं में से मंत्रालय द्वारा 40 मेगा खाद्य पार्क परियोजनाओं की स्थापना को अनुमोदन दिया गया है । इनमें से 21 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 04 परिजनाओं को सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है तथा 15 परियोजनाएं रद्द कर दी गईं/ वापस ले ली गईं हैं । अंतिम रूप से अनुमोदित 21 परियोजनाओं में से 04 आंशिक रूप से प्रचालनरत हैं, 04 परियोजनाएं कार्यान्वयन की अग्रिम अवस्था में हैं तथा उनमें से 2, 2014-15 के दौरान पूरा हो जाने और 2 के वर्ष 2015-16 में पूरा हो जाने की संभावना है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 116.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 110.25 करोड़ रुपए हो गया । वर्ष 2013-14 के दौरान 94.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 120.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 63.94 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 31.12.2014 तक 52.83 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है ।

<u>शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम</u>- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एकीकृत शीत श्रृंखला अवसंरचना विकास हेतु सार्वजनिक/ निजी संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 11वीं योजना के दौरान एक योजना स्कीम शुरू की थी । पहलों का लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला में अंतरालों को भरना, शीत श्रृंखला अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा जैविक उत्पाद, समुद्री, डेयरी, पॉल्ट्री आदि समेत बागवानी हेतु प्रसंस्करण जैसी अवसंरचना सुविधाओं के साथ मूल्यवृद्धि स्थापित करना है ।

मंत्रालय ने अब तक 112 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है । इनमें से, 50 परियोजनाएं वाणिज्यिक रूप से प्रचालनरत हो गई हैं, 28 परियोजनाओं ने 25% प्रगति की है, 25 परियोजनाओं ने 75% प्रगति की है तथा शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के दौरान 11वीं योजना के वित्तीय सहायता के पैटर्न के अनुसार 75 नई शीत श्रृंखला परियोजनाओं को शुरू करते हुए स्कीम के अपस्केलन का अनुमोदन दिया गया है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 100.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़कर 103.75 करोड़ रुपए हो गया तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 103.73 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान

160.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 153.36 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने 31.12.2014 तक 146.13 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है ।

<u>बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण</u>:- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए बूचड़खानों की स्थापना तथा मौजूदा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना स्कीम शुरू की गई थी । स्कीम का कार्यान्वयन स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं तथा पंचायतों)/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सहकारी संघों/ सरकार के अंतर्गत बोर्डों के सहयोग से किया जा रहा है तथा पीपीपी आधार पर निजी निवेशकों के निवेश के लिए लचीलापन भी अपनाया गया है । स्कीम के उद्देश्य हैं:-

- पशुओं का वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्यकर तरीके से वध
- पशुवध अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग
- पशुओं का अति मानवीय उपचार/ पशुओं का न्यूनतम परिवहन
- बेहतर उप-उत्पाद उपयोग/ मूल्यवृद्धि
- वध किए गए पशुओं में सूक्ष्म जैवीय प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रशीतन सुविधा उपलब्ध कराना
- बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा खुदरा शीत श्रृंखला प्रबंधन
- तैयार किए गए मांस एवं मांस उत्पादों के लिए बेहतर अग्र लिंकेज सुविधा

11वीं योजना की चल रही परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं को जोड़कर 25 नए बूचड़खानों की स्थापना तथा 25 मौजूदा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए स्कीम के अपस्केलन के लिए 330.84 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत का अनुमोदन दिया गया है ।

12वीं योजना के दौरान 31.12.2014 तक 29 बूचड़खाना परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 31.03.2014 तक प्राप्त हुए लंबित प्रस्तावों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है ।

स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 31.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 27.72 करोड़ रुपए हो गया तथा इसके प्रत्युत्तर में वर्ष 2013-14 के दौरान 26.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 35.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 12.32 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने (31.12.2014 तक) 9.71 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है ।

<u>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम- (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)</u>

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय 9वीं योजना की शुरूआत से ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है जिसका लक्ष्य उपभोक्ता, बेकरी, डेयरी, मछली, मदिरा और बीयर, फलों एवं सब्जियों, मांस, तेल, दाल, चावल तथा आटा मिलें जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई प्रसंस्करण क्षमता का सृजन तथा मौजूदा प्रसंस्करण क्षमताओं का उन्नयन करना है । स्कीम के उद्देश्य प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करना, बर्बादी में कमी,मूल्यवृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात बढ़ाना है जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास होगा । इस स्कीम के अंतर्गत फलों एवं सब्जियों, दूध,मछली, अनाज, मांस, पॉल्ट्री आदि समेत खाद्य प्रसस्करण क्षेत्र के सभी खण्डों के लिए अनुदान-सहायता के रूप में सहायता को बढ़ाया गया है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य प्रसस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है जिसका कार्यान्वयन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किया जा रहा है । केवल 31.03.2012 तक प्राप्त हुए मामलों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । वर्ष 2013-14 और 2014-15 में किए गए खर्च तथा सहायता प्राप्त मामलों का उप-क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	**2013-14**		**2014-15**	
	मामलों की सं.	**राशि**	**मामलों की सं.**	**राशि**
खाद्य पदार्थ	191	32.48	166	30.14
डेयरी	84	15.58	77	14.45
मछली	25	5.78	22	5.14
आटा मिलिंग	12	2.39	16	2.69
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां	232	36.70	158	28.37
मांस एवं पॉल्ट्री	22	4.89	19	4.38
तेल मिलिंग	69	10.64	13	2.32
दाल मिलिंग	25	3.49	19	2.19
चावल मिलिंग	327	48.44	320	42.33
वाइन एवं बीयर	9	1.69	71	10.62
कुल	**996**	**162.08**	**881**	**142.63**

स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 160.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान 2013-14 के स्तर पर बढ़कर 163.92 करोड़ रुपए हो गया तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 162.08 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 160.00 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 157.03 करोड़ रुपए हो गया । इसके मुकाबले, मंत्रालय ने (31.12.2014 तक) 142.63 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान के अंतर्गत स्कीम के लिए 100.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं ।

<u>गुणवत्ता आश्वासन स्कीम:-</u>

खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक तथा अनुसंधान एवं विकास एवं अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है:-

(क) गुणवत्ता/ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-एचएसीसीपी/ आईएसओ 22000, 9000/ जीएचपी/ जीएमपी:- खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ खाद्य प्रसस्करण उद्योगों द्वारा आईएसओ 22000, आईएसओ 9000, हैजार्ड एनालिसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंटस (एचएसीसीपी), अच्छी विनिर्माण पद्धतियां (जीएमपी), अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां (जीएचपी) जैसी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रणालियों को अपनाने/ कार्यान्वयन के लिए एक योजना स्कीम का संचालन कर रहा है:

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उद्योग को तैयार करना ।
- स्वास्थ्यकर मानदंडों में कठोर गुणवत्ता अपनाने में समर्थ करना जिससे उपभोक्ता की सुरक्षा हो सके ।
- उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादों की स्वीकृति में बढ़ोत्तरी करना ।
- भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रणालियों की तकनीकी जानकारियों से लैस किए रहना ।

हैसप/आईएसओ 22000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान चार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी गई है ।

(ख) यह आवश्यक है कि उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/स्थापना/नेटवर्किंग इसमें से एक कदम है । खाद्य मदों के परीक्षण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, उपभोक्ताओं तथा अन्य पणधारियों को सामान्य सुविधा प्रदान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मंत्रालय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों से एक योजना स्कीम संचालित कर रहा हैः-

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और अन्य पणधारियों से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण करना ।
- नमूनों के परिवहन में लगने वाले समय को कम करते हुए नमूनों के विश्लेषण के लिए समय को कम करना ।
- खाद्य पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं संरचना की मानिटरिंग के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान, मंत्रालय ने खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए 8 नई परियोजनाओं (आईसीएआर के माध्यम से 7 परियोजनाओं सहित) को सहायता दी है ।

(ग) **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आर एंड डी कार्यक्रम-** इस स्कीम का उद्देश्य वाणिज्यिक मूल्य के साथ नए उत्पाद एवं प्रसंस्करण हेतु प्रक्रिया विकास, उन्नत तथा मूल्यवर्धन के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अंतिम उत्पाद/उत्पादन/आर एंड डी कार्य के परिणाम से लाभ होना चाहिए । स्कीम का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास कार्य का अंत्य उत्पाद/निष्कर्ष/खोजबीन से उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास, उन्नत पैकिंग तथा मूल्यवृद्धि को आगे बढ़ाते हुए नवोन्मेषित उत्पादों तथा वाणिज्यिक मूल्य सहित प्रक्रियाओं को लाभ पहुँचाना है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान मंत्रालय द्वारा 20 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (17 डीएसटी के अंतर्गत विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के जरिए सहित)

(घ) **अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप**

मंत्रालय की संवर्धनात्मक गतिविधियां सूचना के प्रसार, उत्पादन तथा पैकेजिंग की आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ मौजूदा तथा संभावित उद्यमियों को परिचित कराते हुए बाजार के विकास एवं उत्पादों लोकप्रिय बनाने के माध्यम से जागरूकता लाकर प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास पर लक्षित है जो गोष्ठियों/ कार्यशालाओं तथा मेलों/ प्रदर्शनियों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभाव्यता के आकलन के लिए अध्ययनों/सर्वेक्षणों आदि द्वारा निवेश भी आकर्षित करती है ।

वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय ने 3 प्रदर्शनियों (राष्ट्रीय) में भाग लिया तथा 16 आयोजनों (सेमीनार/कार्यशालाएं) को मंत्रालय द्वारा सहायता दी गई थी । इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के दौरान 1 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया है ।

गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीमों के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 35.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 35.66 करोड़ रुपए कर दिया गया था । वर्ष 2013-14 के दौरान 35.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 36.00 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 41.28 करोड़ रुपए कर दिया गया था । इसके मुकाबले मंत्रालय ने (31.12.2014 तक) 28.56 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता जारी की है । वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान को 30.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

<u>मानव संसाधन एवं दक्षता विकास स्कीम (11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताएं)</u>

मानव संसाधन एवं दक्षता विकास स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रत्येक स्तरों जैसे कि उद्यमियों, प्रबंधकों, बिक्रीकर्ताओं तथा कामगारों आदि पर प्रशिक्षित जनशक्ति/कार्मिकों की आपूर्ति को बढ़ाना है । इस स्कीम को 12वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है । हालांकि केवल 11वीं योजना अवधि (31.03.2012 तक) प्राप्त/अनुमोदित चालू परियोजनाओं पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है । स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी)- ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास करना और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन उत्पाद सह प्रशिक्षण केंद्रों में "व्यावहारिक अनुभव" प्रदान करते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना । ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर फल और सब्जी प्रसंस्करण में दक्षता और उद्यमशीलता का विकास करने के लिए मंत्रालय ने स्थापना की तारीख से 31.12.2014 तक 623 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों (एफपीटीसी) की स्थापना के लिए सहायता दी है । वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 1 केंद्र को स्थिर पूँजी के रूप में 3.92 लाख रुपए तथा 6 एफपीटीसीज को मूल पूँजी के रूप में 10.63 लाख रुपए की अनुदान-सहायता जारी की गई है ।

उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)- मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकारों/संगठनों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राज्य नोडल एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए खाद्य प्रसंस्करण में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षुओं को प्रौद्योगिकी एवं विपणन समेत परियोजना प्रतिपादन और प्रबंधन का मूल ज्ञान प्राप्त कराना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना, उपलब्ध अवसरों ओर वित्तीय सहायता तथा विकासात्मक संगठनों से उपलब्ध अन्य समर्थन सेवाओं के बारे में शिक्षित करना और उन्हें मार्गरक्षी सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे बैंकों/ वित्तीय संस्थानों से ऋण सेवाओं तथा विकासात्मक संगठनों से अन्य सहायता सेवा का लाभ उठा सकें । उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की अवधि 12 महीनों की अनुवर्ती कार्रवाई चरण के साथ कम-से-कम 25 प्रशिक्षुओं सहित 6 सप्ताह की है । प्रत्येक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए अधिकतम 2.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2013-14 के दौरान 67 ईडीपीज को जारी रखने के लिए दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में अनुदान-सहायता के लिए 211.15 लाख रूपए की राशि जारी की गई है तथा वर्ष 2014-15 के दौरान (31.12.2014 तक) 10 ईडीपीज को जारी रखने के लिए दूसरी एवं तीसरी किस्त के रूप में अनुदान-सहायता के लिए 77.65 लाख रूपए की राशि जारी की गई है ।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए सहायता- मंत्रालय केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों, विख्यात विश्वविद्यालयों/कालेजों, तकनीकी संस्थानों जैसे शिक्षण संस्थानों को बुनियादी ढांचा, विकास संबंधी सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है । इस कार्यक्रम के उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों और उद्यमियों का विकास करने का है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए वर्तमान कार्मिकों की दक्षता का उन्नयन करेगा और गुणवत्ता प्रबंधन में मानव शक्ति का विकास करेगा । इस स्कीम के अंतर्गत मानव संसाधन विकास संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता की मात्रा प्रसंस्करण क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए उपकरणों, प्रयोगशाला पायलट संयंत्रों, पुस्तकालय और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं जैसी बुनियादी ढांचा ओर विकास सुविधाओं के सृजन के लिए दो समान किस्तों में 75 लाख रुपए तक है । वर्ष 2013-14 के दौरान 3 नए संस्थानों तथा पूर्व में अनुमोदित संस्थानों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 134.88 लाख रुपए की राशि जारी की गई है और वर्ष 2014-15 के दौरान (31.12.2014 तक) 3 नए संस्थानों एवं पूर्व में अनुमोदित संस्थानों के लिए दूसरी किस्त के रूप में 209.62 लाख रुपए की अनुदान-सहायता दी गई है ।

मानव संसाधन विकास स्कीम के लिए वर्ष 2013-14 का बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़कर 4.20 करोड़ रुपए हो गया था । इसके मुकाबले वर्ष 2013-14 के दौरान 3.78 करोड़ रुपए की अनुदान-सहायता की राशि का उपयोग किया गया था । वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान 4.00 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमान के स्तर पर घटकर 3.75 करोड़ रुपए हो गया था । इसके मुकाबले वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान 2.27 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की राशि का उपयोग किया गया था । वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अंतर्गत स्कीम के लिए 5.00 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है ।

<u>संस्थान तथा प्रशासन सुदृढ़ीकरण</u>

यह स्कीम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए मौजूदा सांस्थानिक तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा नए की स्थापना और साथ-ही-साथ अंगूर प्रसंस्करण, माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण में विकासात्मक कार्यकलाप शुरू करने पर ध्यान केन्द्रित करती है और इसके निम्नलिखित घटक हैः-

- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना ।
- भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) का सुदृढ़ीकरण ।
- भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ।
- राष्ट्रीय माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी) ।

इन संस्थानों का ब्यौरा अध्याय VI में दिया गया है ।

<u>केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2012-13 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु एक केंद्र प्रायोजित स्कीम- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की शुरूआत की थी । एनएमएफपी का प्राथमिक उद्देश्य मंत्रालय की स्कीमों के कार्यन्वयन में राज्य/संघ राज्य सरकारों की व्यापक भागीदारी से विकेंद्रीकरण करना था ।

एनएमएफपी के अंतर्गत 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्नानुसार हैः-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम ।

(ii) गैर-बागवानी उत्पाद शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम ।

(iii) बूचड़खाना स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम (2014 -2015 से कार्यान्वित) ।

(iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी) ।

(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए अवसंरचना सुविधाओं का सृजन ।

(ख) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) ।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी) ।

(घ) मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता-सह जागरुकता कार्यक्रम ।

(v) प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

(क) सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ख) अध्ययन/सर्वेक्षण करना ।

(ग) प्रदर्शनियों/मेलों को सहायता देना ।

(घ) विज्ञापन एवं प्रचार ।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों/संग्रहण केंद्रों के सृजन हेतु स्कीम ।

(vii) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण ।

(viii) रीफर वाहन ।

(ix) पुराने खाद्य पार्क ।

31.12.2014 तक एनएमएफपी की स्थितिः

क्र.सं.	**विवरण**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1.	बजट अनुमान	250.00	187.00	180.00
2.	संशोधित अनुमान	185.32	30.50	125.32
3.	वास्तविक व्यय	182.90	29.72	108.00 (31.12.2014 तक)

एनएमएफपी स्कीम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में वर्ष 2015-16 से समाप्त कर दिया गया है । फिर भी, वर्ष 2015-16 के बजट में एनएमएफपी (संघ राज्य क्षेत्र योजना) के लिए 7.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

पूर्वोत्तर की परियोजनाओं के लिए सहायता

सरकार की नीति के अनुसार वार्षिक योजना परिव्यय में से कम-से-कम 10% सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं पर उपयोग के लिए नियत किया जाना चाहिए । तदनुसार, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के लिए योजना राशि का आवंटन करता रहा है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 480.00 करोड़ रुपए के वार्षिक योजना परिव्यय के 10% अर्थात 48.00 करोड़ रुपए का प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं के उपयोग के लिए नियत किया गया है ।

वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और बजट अनुमान 2015-16 की वित्तीय समीक्षा

स्कीम-वार व्यय का रुझान और बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16
		बजट अनुमान	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य. (31.12.2014 तक)*	ब.अ.
क.	योजना										
	अवसंरचना विकास स्कीम										329.00#
(क)	मेगा खाद्य पार्क	86.00	93.20	93.12	116.00	110.25	94.08	120.00	63.94	52.83	
(ख)	शीत श्रृंखला	86.00	81.37	81.19	100.00	103.75	103.73	160.00	153.36	146.13	
(ग)	बूचड़खाना	19.00	9.62	9.58	31.00	27.72	26.68	35.00	12.32	9.71	
	कुल	**191.00**	**184.19**	**183.89**	**247.00**	**241.72**	**224.49**	**315.00**	**229.62**	**208.67**	**329.00**
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम	100.00	186.46	186.19	160.00	163.92	162.08	160.00	157.03	142.63	100.00
3.	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, आर एंड डी तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम	35.00	31.91	31.34	35.00	35.66	35.33	36.00	41.28	28.56	30.00
4.	मानव संसाधन विकास स्कीम	4.00	4.00	3.98	4.00	4.20	3.78	4.00	3.75	2.27	5.00*
5.	संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम	80.00	68.12	67.58	75.00	74.00	72.56	75.00	43.00	37.90	16.00
6.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	250.00	185.32	182.90	187.00	30.50	29.72	180.00	125.32	108.00	7.00@
7	पूँजी खंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		--
	कुल-योजना	**660.00**	**660.00**	**655.88**	**708.00**	**550.00**	**527.96**	**770.00**	**600.00**	**528.03**	**487.00**
	घटाई गई वसूलियां	--	--	4.17	--	--	0.71	--		11.93	
	सकल योग-योजना(क)	**660.00**	**660.00**	**651.71**	**708.00**	**550.00**	**527.25**	**770.00**	**600.00**	**516.10**	**487.00**
	गैर-योजना (ख)	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.98**	**15.86**	**17.74**	**10.82**	**18.51**
	घटाई गई वसूलियां	--	--	--	--	--	0.02	--		--	
	सकल योग-गैर योजना(ख)	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.96**	**15.86**	**17.74**	**10.82**	**18.51**
	सकल महायोग { योजना(क)+ गैर योजना(ख)}	**670.54**	**670.16**	**661.28**	**719.11**	**564.32**	**541.21**	**785.86**	**617.74**	**526.92**	**505.51**
	एनईआर हेतु एकमुश्त प्रावधान	66.00	66.00	64.98	70.80	55.00	37.58	77.00	60.00	14.02	48.00

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में किए गए व्यय को बजट पुनर्विनियोजन के पश्चात संबंधित प्रचालनात्मक शीर्ष के तहत बुक किया गया है ।
- ^31.12.2014 तक के खर्चों के आकड़े अनंतिम हैं ।
- #वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्कीम का नाम बदलकर अवंसरचना विकास स्कीम-मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला एवं बूचड़खाना हो गया है ।
- *वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्कीम का नाम बदलकर मानव संसाधन एवं दक्षता विकास स्कीम हो गया है ।
- @केवल संघ राज्य क्षेत्र योजना ।

विषय शीर्ष-वार व्यय का रुझान 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं बजट अनुमान 2015-16

(करोड़ रुपए)

क्र.सं	क- विषय शीर्ष-वार वर्गीकरण (योजना)	2012-13			2013-14			2014-15			2015-16
		ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.	ब.अ.	सं.अ.	अनु.व्य.*	ब.अ.
1	वेतन	2.85	2.85	2.65	3.00	3.00	2.93	3.30	3.30	2.23	2.50
6	चिकित्सीय उपचार	0.10	0.10	0.04	0.15	0.15	0.07	0.15	0.15	0.07	0.08
11	घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	0.40	0.40	0.40	0.60	0.75	0.75	1.00	1.00	0.36	0.30
12	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	0.75	0.75	0.51	0.90	0.75	0.48	0.60	0.60	0.18	0.05
13	कार्यालय व्यय (ओई)	1.10	1.10	1.10	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0.82	1.00
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1.25	1.26	1.18	1.85	1.83	0.80	0.75	0.50	0.47	0.80
26	विज्ञापन एवं प्रचार	5.63	2.81	2.61	3.13	1.45	1.64	1.50	1.30	0.53	1.05
28	व्यवसायिक सेवाएं	7.70	4.14	4.01	9.20	6.82	5.79	6.51	6.23	4.08	5.75
31	सामान्य अनुदान-सहायता	477.16	386.43	429.88	402.84	403.50	434.65	469.37	390.88	389.08	409.30
35	पूँजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान	41.00	41.00	41.00	45.98	39.98	39.98	36.20	14.20	14.20	10.00
36	अनुदान-सहायता-वेतन	-	-	-	8.00	9.00	9.00	9.25	9.25	7.60	0.50
50	अन्य व्यय	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	0.41	0.67
31	राज्य सरकार को अनुदान-सहायता	40.40	145.06	166.24	150.40	25.06	29.72	157.06	109.62	107.84	0.00
31	संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान-सहायता	15.06	7.50	5.66	9.00	0.56	-	5.06	0.72	0.16	7.00
58	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रावधान	66.00	66.00	*	70.80	55.00	*	77.00	60.00	*	48.00
	कुल (क)-योजना	660.00	660.00	655.88	708.00	550.00	527.96	770.00	600.00	528.03	487.00
	घटाई गई वसूलियां		-	4.17	-	-	0.71	-	--	11.93	--
	सकल योग (योजना)	**660.00**	**660.00**	**651.71**	**708.00**	**550.00**	**527.25**	**770.00**	**600.00**	**516.10**	**487.00**
	ख-विषय शीर्ष-वार वर्गीकरण (गैर-योजना)										
1	वेतन	6.08	6.70	6.61	7.68	8.02	7.97	9.01	8.58	6.87	10.15
3	समयोपरि भत्ता (ओटीए)	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04
6	चिकित्सा उपचार	0.14	0.03	0.04	0.05	0.02	0.01	0.07	0.10	0.05	0.12
11	घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई)	0.22	0.35	0.25	0.30	0.41	0.38	0.60	0.26	0.21	0.42
12	विदेश यात्रा व्यय (एफटीई)	0.45	0.20	0.16	0.20	0.05	0.04	0.10	0.10	--	0.15
13	कार्यालय व्यय (ओई)	3.06	2.41	2.11	2.43	2.40	2.20	2.54	3.03	1.91	3.03
16	प्रकाशन	0.10	0.13	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06	0.10	0.06	0.06
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.13	0.22	0.32	0.20	0.24
28	व्यवसायिक सेवाएं	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.05	0.05	--	0.10
31	अनुदान-सहायता सामान्श्	-	-	-	-	-	-	-	-	2.01	1.04
32	योगदान	-	-	-	0.15	0.12	0.11	0.15	0.15	0.02	0.16
36	अनुदान-सहायता-वेतन	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50	3.00
42	एक मुश्त प्रावधान	0.21	0.21	0.20	0.06	0.06	0.06	-	--	--	--
	सकल योग (ख) (योजना)	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.98**	**15.86**	**17.74**	**10.82**	**18.51**
	वसूलियां	-	-	-	-	-	0.02	-	--	--	--
	सकल योग (ख) (गैर-योजना)	**10.54**	**10.16**	**9.57**	**11.11**	**14.32**	**13.96**	**15.86**	**17.74**	**10.82**	**18.51**
	निवल योग (गैर-योजना(ख))	**670.54**	**670.16**	**661.28**	**719.11**	**564.32**	**541.21**	**785.86**	**617.74**	**526.92**	**505.51**
	- पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में किए गए व्यय को बजट पुनर्विनियोजन के पश्चात संबंधित प्रचालनात्मक शीर्ष के तहत बुक किया गया है ।										
	- 31.12.2014 तक के खर्चों के आकड़े अनंतिम हैं ।										

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

दिनांक 31.03.2013 तक जारी की गई तथा 01.04.2014 तक देय अनुदान-सहायता से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सं.	**राशि** (करोड़ रुपए)
2842	556.36

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अव्ययित बची हुई राशि

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 31.12.2014 तक बची हुई अव्ययित राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**राज्य**	**दिनाक 31.12.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि**
1.	आंध्र प्रदेश	0.00
2.	बिहार	2.50
3.	छत्तीसगढ़	2.85
4.	गोवा	1.75
5.	गुजरात	3.29
6.	हरियाणा	0.07
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2.55
9.	झारखंड	0.28
10.	कर्नाटक	4.52
11.	केरल	0.36
12.	मध्य प्रदेश	0.57
13.	महाराष्ट्र	0.00
14.	ओडिशा	1.77
15.	पंजाब	1.26
16.	राजस्थान	0.77
17.	तमिलनाडु	1.81
18.	तेलंगाना	0.11
19.	उत्तर प्रदेश	1.28
20.	उत्तराखंड	0.29
21.	पश्चिम बंगाल	1.21
कुल		**27.24**

पूर्वोत्तर राज्य

क्र.सं.	राज्य	दिनाक 31.12.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.6600
2.	असम	2.3500
3.	मणिपुर	0.6900
4.	मेघालय	0.8900
5.	मिजोरम	1.0700
6.	नागालैंड	0.0780
7.	सिक्किम	0.6228
8.	त्रिपुरा	0.6708
	कुल	**7.0316**

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	दिनाक 31.12.2014 तक अव्ययित बची हुई राशि
1.	अंडमान एवं निकाबार	0.540
2.	चंडीगढ़	0.000
3.	दादरा एवं नगर हवेली	0.000
4.	दमन एवं दीव	0.000
5.	दिल्ली	2.040
6.	लक्षद्वीप	1.687
7.	पुद्दीचेरी	0.650
	कुल	**4.917**

सांविधिक एवं स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

1. भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी), तमिलनाडु

भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जो पहले धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता था तंजावुर में स्थित है । बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड करके भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अभिहित किया गया।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान की कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला शीर्ष निकाय है । सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं ।

संस्थान के 6 विभाग हैं अर्थात;

1. शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास खाद्य इंजीनियरी एवं डिजाइन
2. खाद्य पैकिंग उपकरण एवं प्रणाली विकास
3. खाद्य उत्पाद विकास
4. खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता परीक्षण
5. प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण एवं संचालन
6. प्रौद्योगिकी प्रसार

संस्थान का विजन

- दलदली एवं तूफान प्रवण क्षेत्रों की फसलों के फसलोत्तर प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्य करना ।
- चक्रवात/तूफान प्रवाण क्षेत्रों तथा दलदली क्षेत्र साथ ही बागवानी, मसालों एवं अन्य महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादउत्तर क्षेत्र में बुनियादी, व्यावहारिक और स्वीकार्य अनुसंधान कराना ।
- अनिवार्य फसलों के उत्पादनोत्तर प्रणालियों की सूचना हेतु राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करना ।

- कच्ची एवं प्रसंस्कृत कृषि वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकी, परामर्श और विश्लेषणात्मक सेवाओं का अंतरण करना ।
- लक्ष्यों को प्रभावी ढँग से प्राप्त करने के लिए संबंधित प्रसंस्करण उद्योगों तथा अन्य शैक्षणिक व अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ लिंकेज स्थापित करना ।

<u>शिक्षा-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान वर्ष 2009-10 के शैक्षणिक वर्ष से खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी में बी-टैक, एम-टैक और डॉक्ट्रेट स्तर के पाठ्यक्रम और वर्ष 2013-14 के शैक्षणिक वर्ष से एम-टैक (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम चला रहा है । संस्थान तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है । छात्रा की वार्षिक प्रवेश क्षमता है

- बी.टैक : 40 छात्र
- एम.टैक: 20 छात्र
- पीएचडी. 05 छात्र

आईआईसीपीटी ने अपने बी-टैक (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) के पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का अनुमोदन प्राप्त किया है ।

एम.टेक के छात्रों के तीन बैच तथा बी.टेक छात्रों के दो बैच आईआईसीपीटी से पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हैं । आईआईसीपीटी से उत्तीर्ण सभी छात्रों का नियोजन खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों, सरकार में हो गया है अथवा वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; एमएएनएजीई, हैदराबाद; तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय आदि जैसे ख्याति प्राप्त भारतीय संस्थानों में प्रवेश ले चुके हैं ।

<u>अनुसंधान-</u> इस समय, छः अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं जो वाह्य रूप से वित्त-पोषित हैं और 19 आंतरिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं प्रगति पर हैं । संकाय सदस्यों ने प्रतिष्ठित जनरलों में अपने शोध-पत्र व्यापक रूप से प्रकाशित किए हैं । 31.12.2014 तक अंतरराष्ट्रीय जनरलों में 20 शोध-पत्र तथा राष्ट्रीय जनरलों में कुल 18 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे । संकाय तथा छात्रों ने राष्ट्रीय सेमीनारों में 46 शोध-पत्रों का प्रस्तुतीकरण भी दिया है । वर्ष 2014-15 के दौरान 3 संकायों ने सियांग माई, थाईलैण्ड में तथा एक संकाय ने फ्रांस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अपने शोध-पत्रों का प्रस्तुतीकरण दिया था । आईआईसीपीटी तंजावुर ने भारत के 11 राज्यों में धान की परीक्षण मिलिंग संचालित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

<u>विकसित की गई प्रौद्योगिकियां-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने खाद्य उद्योग के पणधारियों के लाभ हेतु व्यापक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की हैं । कुछ अन्वेषण हैं:

उच्च नमी धान परिरक्षण, एकीकृत स्टोरेज पेस्ट्स प्रबंधन, बहु-उद्देश्य यार्ड ड्राइंग इम्पलिमेंट, निम्न घर्षण हुल्लर, इडली ड्राइ-मिक्स, कंटीन्युस राइस पफिंग मशीन, राइस हस्क एश से बायो फर्टिलाइजर, बहिर्स्राव उपचार संयंत्र, वैजिटेवल वाशर, न्यूमेंटिक ग्रेन पम्प, फल एवं सब्जी ग्रेडर, हस्तचालित आँवला बीज निष्क्रमण यूनिट, केला डी-हैंडर, केला हैंड कटर, केला वाशिंग कम वैक्सिंग यूनिट, मखाना प्रसंस्करण यूनिट, नारियल जल निष्क्रमण यूनिट, राइस ब्रान प्रोटीन आइसोलेट, दाल आधारित प्रो-बायोटिक फूड्स, मिलिंग उप-उत्पादों से आरटीई निस्सारित उत्पाद, मोबाइल प्रसंस्करण यूनिट तथा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ।

<u>लघु आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न पणधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे । खाद्य प्रसंस्करण व्यापार उद्भवन केंद्र खाद्य प्रसंस्करण की बुनियादी विशेषताओं और उद्यमशिलता विकास के संबंध में किसानों, स्वःसहायता समूहों और महत्वाकांक्षी युवकों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है । खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता प्रशिक्षण विभाग छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उच्च तकनीक यांत्रिक प्रशिक्षण चलाता है । वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के दौरान संचालित प्रशिक्षण निम्नानुसार है:-

प्रशिक्षण कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या
एक दिवसीय दक्षता विकास कार्यक्रम	1387
दो दिवसीय तथा एक सप्ताह का दक्षता विकास कार्यक्रम	1970
एक सप्ताह से अधिक का दक्षता विकास कार्यकम	95
कुल	**3452**

<u>सहयोग-</u> भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान ने पूरे देश और विदेश के प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग किया है । इसने 14 अंतर्राष्ट्रीय और 28 राष्ट्रीय संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों पर पारस्परिक लाभदायी शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास, शिक्षण एवं अनुसंधान के प्रयोजन से शैक्षणिक स्टाप के विनिमय, संयुक्त अनुसंधान, व्याखानों और प्रशिक्षण तथा अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु छात्रों के विनिमय के प्रयोजन से हस्ताक्षर किए गए थे। पश्च एकीकरण तथा अधिक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1000 पंजीकृत प्रगतिशील

किसानों को तंजावूर जिले में स्थित एक कृषक उत्पादक कम्पनी (एफपीसी) की स्थापना के लिए मंत्रालय ने तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है ।

बजट- वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान का योजना के अंतर्गत परिव्यय 7.46 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अंतर्गत 3.00 करोड़ रुपए था और 31.12.2014 तक आईआईसीपीटी को 5.70 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं । 2015-16 के लिए गैर-योजना के अंतर्गत 4.04 करोड़ रुपए रखे गए हैं । वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के लिए योजना के अंतर्गत कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

II. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम)

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की 479.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में स्थापना की गई है । राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) को 19.05.2010 को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 08.05.2012 को डी-नोवो श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था ।

संस्थान का विजन

निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के क्षेत्र संवर्द्धन संगठन के रूप में कार्य करना :

- क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए "एक बिंदु समाधान प्रदाता" के रूप में कार्य करना
- क्षेत्र के लिए "कौशला विकास" तथा "उद्यमशीलता विकास" के लिए कार्य करना ।
- फलों और सब्जियों, डेयरी, मांस और अनाज प्रसंस्करण के लिए अति आधुनिक प्रायोगिक संयंत्र सहित व्यापार इन्क्यूबेशन सेवाएं प्रदान करना ।
- क्षेत्र के विकास के लिए अग्रणी क्षेत्र अनुसंधान का आयोजन करना ।
- खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीक के साथ विश्वस्तरीय प्रबंधन प्रतिभा का विकास करना ।

- विनियमों के लिए बौद्धिक समर्थन प्रदान करना जिससे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के अभिशासन सहित नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा ।
- खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पक्षों जैसे उत्पाद सूचना, उत्पाद और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, बाजार के रुझान, सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तथा प्रबंधन पर ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करना ।
- एसएमई खाद्य प्रसंस्करण समूहों के उन्नयन हेतु कार्य करना ।
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में मौजूदा संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का प्रोत्साहन देना ।

<u>शैक्षणिक कार्यक्रम-</u> संस्थान ने बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन) तथा एम.टेक की 5 शाखाओं अर्थात खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरी एवं प्रबंधन, खाद्य संयत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के साथ 16.08.2012 से अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया है । शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से सभी 5 परास्नातक शाखाओं में पी.एचडी कार्यक्रम शुरू किया है । छात्रों की वार्षिक प्रवेश निम्नानुसार है:-

बी.टेक: 180

एम.टेक: 90

पी.एचडी: 20

संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन) तथा एम.टेक की 5 शाखाओं को संचालित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है ।

<u>अनुसंधान-</u> राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ने खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के संगत क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने और उनकी मानिटरिंग करने के लिए एक अनुसंधान प्रकोष्ट की स्थापना की है । अनुसंधान परियोजनाओं को आंतरिक रूप से वित्त उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था ताकि आंतरिक संकाय सदस्य तत्काल अनुसंधान परियोजना शुरू कर सकें । संकाय सदस्यों द्वारा अनुसंधान हेतु आंतरिक रूप से वित्त पोषित सत्रह अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है । वाह्य एजेंसियों द्वारा भी संस्थान को निम्नानुसार अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गई हैं:

- 31.00 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान (एनडीआरआई), करनाल के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है ।
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) से 1.51 करोड़ रुपए की वित्त पोषित परियोजना को मंजूरी दी गई है ।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) से 3.25 करोड़ रुपए की वित्त पोषित परियोजना को भी मंजूरी दी गई है ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा एक परियोजना को मंजूरी दी गई है ।

संस्थान ने अपनी अनुसंधान कार्यसूची की रूपरेखा तैयार करने के लिए उद्योग, अकादमी एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ निफ्टेम अनुसंधान विकास परिषद की स्थापना की ।

<u>लघु आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम-</u> खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्द्धन संगठन के रूप में अपने अधिदेश के अनुपालन के क्रम में निफ्टेम ने परामर्शी प्रभाग, एसएमई उन्नयन प्रभाग तथा दक्षता विकास प्रभाग के नाम से तीन प्रभाग स्थापित किए हैं । संस्थान ने अपने दक्षता विकास पहल के भाग के रूप में समग्र दक्षता स्तर तथा कार्यशक्ति की रोजगारपरकता को बढ़ाने के लिए ज्ञान भागीदारों के सहयोग से जुलाई, 2011 से सितम्बर, 2014 तक अपने परिसर में 32 लघु आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं । अब तक उद्योगों से 653 भागीदारों ने प्रशिक्षण लिया है । उपर्युक्त के अलावा, पैन-इंडिया आधार पर 1 सप्ताह तथा 2 सप्ताह के 24 दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं तथा किसानों एवं भावी उद्यमियों को शामिल करके 1032 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया । भावी उद्यमियों को संवेदनशील बनाने के लिए दिसम्बर, 2014 तक आठ (8) एक दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए हैं और 3308 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं ।

<u>ग्राम दत्तककरण कार्यक्रम-</u> निफ्टेम ने जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं तथा उनके द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के संबंध में अपने छात्रों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से ग्राम दत्तककरण के एक अनोखे कार्यक्रम की परिकल्पना की है । निफ्टेम के छात्रों द्वारा 19 राज्यों में 39 गाँवों को शामिल करते हुए ग्राम दत्तककरण कार्यक्रम के सात चरण पूरे किये जा चुके हैं ।

<u>सहयोग-</u> निफ्टेम ने संकाय/छात्रों अदला-बदली कार्यक्रम, अनुसंधान तथा सामान्य रूचि के अन्य विषयों के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए 5 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों अर्थात वगेनिंग विश्वविद्यालय, नीदरलैंड्स; कंसास राज्य विश्वविद्यालय, मैनहट्टन, यूएसए; नब्रास्का

विश्वविद्यालय- लिंकन, यूएसए; सस्कासेवन, कनाडा तथा खाद्य संरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान, इलिनॉयस प्रौद्योगिकी संस्थान, शिकागो के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

निफ्टेम ने भी 9 राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात आईएआरआई, दिल्ली; एनडीआरआई, करनाल; जीएसआई इंडिया, नई दिल्ली; सीएफटीआरई, मैसूर; एनआईटीआईई, मुम्बई; डीएफआरआई, मैसूर; आईआईटी, दिल्ली; आईआईएम, लखनऊ तथा आची मसाला फूड प्रा.लि., चैन्नई, तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन किया है ।

छात्र नवाचार निधि- निफ्टेम ने अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा नवाचार प्रेरित शिक्षा के संवर्धन हेतु अपने छात्रों के लिए छात्र नवाचार निधि का सृजन किया है । इसमें छात्रों द्वारा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ।

अंतर्राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र- संस्थान ने बाजार को प्रोत्साहित करने, उपभोग तथा भारतीय अनाजों एवं उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनाज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है । केंद्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ।

अंतर्राष्ट्रीय बेकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र- संस्थान ने आंतरिक तथा बाह्य रूप से समर्थित सतत अनुभव परक शिक्षण को सुगम बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बेकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है । केंद्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ।

बजट- निफ्टेम के लिए वर्ष 2014-15 का परिव्यय 49.92 करोड़ रुपए था। 479.94 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय में से निफ्टेम के लिए 453.09 करोड़ रुपए की राशि 31.12.2014 तक जारी कर दी गई है । वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान के अंतर्गत पूंजी खर्च के प्रति निफ्टेम के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ।

III. राष्ट्रीय माँस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड (एनएमपीपीबी)- राष्ट्रीय माँस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का गठन 27 फरवरी, 2009 को किया गया था तथा 26 मार्च, 2009 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया था ।

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के संधारणीय विकास का पोषण करना ।
- स्वच्छ एवं स्वस्थ्यकर माँस एवं माँस उत्पादों तथा बूचड़खानों के अपशिष्ट के उपयोग से मूल्यवृद्धि द्वारा जानवरों के उप-उत्पादों को तैयार करने हेतु तकनीकी सलाह द्वारा बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण में उद्योग की सहायता करना ।

- माँस उत्पादकों तथा उद्यमियों को माँस उत्पादन में अच्छी निर्माण पद्धतियों (जीएमपी), हैजर्ड एनालिसिस एवं क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट्स (एचएसीसीपी) तथा आईएसओ 22000 को अंगीकार करने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित करना ।
- माँस क्षेत्र के विकास के लिए बाजार सर्वेक्षण और बाजार आसूचना, डाटा-बेस का नियमित आधार पर प्रसारण में उद्योग की सहायता करना ।

<u>आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार-</u> एनएमपीपीबी ने देश के माँस/पॉल्ट्री क्षेत्र के कामगारों तथा कसाइयों को पशुवध के दौरान स्वच्छकर पद्धतियों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान चित्रदुर्ग, कर्नाटक में 02.07.2014 को एक आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ।

बोर्ड जिसे पहले तीन वर्षों अर्थात 2012-13 तक सरकार द्वारा वित्त पोषण के प्रावधान के साथ उद्योग संचालित निकाय होना था, को अपना राजस्व स्वंय सृजित करना था । परन्तु, बोर्ड अपनी संवहनीयता के लिए राजस्व सृजन करने में असमर्थ था तथा सरकार के वित्त पोषण के बिना अपनी गतिविधियां जारी रखने की स्थिति में नहीं था । मंत्रालय द्वारा 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान बोर्ड को जारी रखने पर विचार किया गया था । व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से प्राप्त टिप्पणियों तथा पणधारियों के साथ परामर्श के आधार पर बोर्ड को बंद करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, एनएमपीपीबी वर्तमान में बंद होने की प्रक्रिया में है ।

IV. <u>भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड (आईजीपीबी):-</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है । भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी- अनुसंधान एवं विकास कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, विस्तार, गुणवत्ता उन्नयन, बाजार संबंधी अनुसंधान एवं सूचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वाईन का प्रचार: विश्लेषण हेतु सुविधाएं प्रदान करना, लेबल मानक और "गुणवत्ता" उल्लेख का परीक्षण, वाईन का प्रमाणन और गुड मैन्यूफैक्चूरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी), हैजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एच.ए.सी.सी.पी.)/आईएसओ-22000 को बढ़ावा, उत्पादकों एवं वाईन उद्योग के मध्य बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज, सहकारी प्रयासों को सामान्य तौर पर प्रोत्साहन, दृष्टिकोण का प्रतिपादन, नई तकनीकों/प्रणालियों में गुणवत्ता वर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य सहित भारतीय वाईन क्षेत्र के विकास हेतु कार्य योजना का प्रतिपादन और भारतीय वाईन क्षेत्र के निर्वहनीय विकास को पोषित करना ।

<u>अपेक्षित निष्कर्ष</u>:-भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड के अपेक्षित इस प्रकार होंगेः

- किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाना, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, अपशिष्ट में कमी और अंगूरों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ शराब को वैश्चिवक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके ।
- घरेलू बाजारों और निर्यातों की बढ़ती मांग को संतुष्ट करना ।
- किसानों की आय तथा रोजगार उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्रों पर एक विशेष फोकस सहित बढ़ाना ।
- क्लस्टर खेती, संविदा खेती और खेत विविधीकरण को बढ़ावा देना ।
- किसान समुदाय के लिए मूल्यवर्धन के लाभ और किसानों को अपनी उपज के लिए आकर्षक मूल्य दिलवाना ।

बोर्ड में अध्यक्ष, जो कि शराब उद्योग में एक जाने माने व्यावसायिक होते है, सहित 16 सदस्य होते है ।

बोर्ड को 12वीं योजना के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है ।

****

एई	वास्तविक व्यय
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
बीई	बजट अनुमान
सीए	नियंत्रित वातावरण
सीसीईए	मंत्रिमंडलीय आर्थिक कार्य समिति
सीएसएस	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम
डीएआरई	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
डीएसटी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
ईडीपी	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम
एफपीटीसी	खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र
एफटीएल	खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला
जीएचपी	अच्छी स्वास्थ्यकर पद्धतियां
जीएमपी	अच्छी विनिर्माण पद्धतियां
एचएसीसीपी	हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईएएफएस	भारत- अफ्रीका समिति
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईजीपीबी	भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड
आईआईसीपीटी	भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान
आईक्यूएफ	इंडीविजवली क्विक फ्रोजन
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
एलएलपीडी	लाख लीटर प्रतिदिन
एमए	संशोधित वातावरण
एमएफपी	मेगा खाद्य पार्क
एमएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमटी	मिट्रिक टन
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनआईएफटीईएम	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान
एनएमएफपी	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
एनएमपीपीबी	राष्ट्रीय माँस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड
पीएसी	प्रस्ताव अनुमोदन समिति
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आरई	संशोधित अनुमान
आरटीई	खाने के लिए तैयार
एसईआरबी	विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसएनए	राज्य नोडल एजेंसी
टीएससी	तकनीकी जाँच समिति